

फॉर्म एफ.एन.सी.

[कृपया विनियम 4(सी) देखे]

[इस आवेदन-पत्र को पूरा भर कर इसे मद सं.(viii) में दिए गए घोषणापत्र में उल्लिखित दस्तावेजों सहित आवेदक इसे अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंक को प्रस्तुत करें।]

भाग - I

क्र.सं.	ब्योरे	विवरण
1.	i) आवेदक का पूर्ण नाम और पता ii) निगमन/पंजीकरण की तारीख और स्थान iii) टेलीफोन संख्या iv) फैक्स संख्या v) ई-मेल आइडी	
2.	i. पूंजी के ब्योरे ii. प्रदत्त पूंजी iii. पिछले लेखा परिक्षित तुलनपत्र / वित्तीय विवरण के अनुसार निर्बंध प्रारक्षित निधियां / प्रतिधारित आय iv. अमूर्त परिसंपत्तियां, यदि कोई हो	
3.	आवेदक के कार्यकलापों का संक्षिप्त विवरण	
4.	i) आवेदक द्वारा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान भारत को / से आयातित और / अथवा निर्यातित माल की कीमत ए. भारत से आयात (imports from India) बी. भारत को निर्यात ii) भारत में कंपनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौजूदा व्यवस्था के ब्योरे, यदि कोई हो	

	<p>iii) प्रस्तावित संपर्क/ शाखा कार्यालय के ब्योरे:</p> <p>ए. कार्यालय द्वारा की जानेवाली / प्रदान की जानेवाली प्रस्तावित गतिविधियों / सेवाओं के ब्योरे</p> <p>बी. वह स्थान जहां कार्यालय स्थित है</p> <p>सी. फोन नंबर</p> <p>डी. ई-मेल आइडी</p> <p>ई. कर्मचारियों की प्रत्याशित संख्या (विदेशियों की संख्या के साथ)</p>	
5.	<p>i. आवेदक के अपने देश के बैंकर का नाम और पता</p> <p>ii. टेलीफोन और फैक्स संख्या</p> <p>iii. ई-मेल आइडी</p>	
6.	<p>लाभ रहित / गैर-सरकारी संगठनों के लिए:</p> <p>i. आवेदक संगठनों द्वारा मेजबान देश और अन्य देशों में किये जानेवाले कार्यकलापों के ब्योरे।</p> <p>ii. भारत में परिचालनों के लिए निधियन का अपेक्षित स्तर।</p> <p>iii. संगठन के उप-विधियों, संस्था के अंतर्नियमों की प्रतियाँ</p>	
7.	<p>परियोजना कार्यालयों के लिए:</p> <p>i. संदर्भ सं. और कांट्रैक्ट प्राप्त करने संबंधी पत्र की तारीख</p> <p>ii. परियोजना/कांट्रैक्ट देने वाले प्राधिकारी का ब्योरा</p> <p>iii. कांट्रैक्ट का कुल मूल्य</p> <p>iv. परियोजना कार्यालय का पता/ई-मेल/टेलीफोन नंबर/फैक्स नंबर</p> <p>v. परियोजना कार्यालय की अवधि</p> <p>vi. परिचालित की जा रही परियोजना का स्वरूप</p>	
8.	<p>कोई अन्य जानकारी जो आवेदक कंपनी इस आवेदन के समर्थन में प्रस्तुत करना चाहती है।</p>	

भाग - II

आवेदक द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त जानकारी जहां दिनांक 31, मार्च 2016 की अधिसूचना सं.फेमा 22 (आर)-2016-आरबी के विनियम 5 अंतर्गत रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है।

I. कंपनी / फ़र्म के संबंध में विवरण

क्र.	कंपनी का पूरा नाम	कंपनी के पंजीकरण की तिथि	कंपनी के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय और पंजीकृत कार्यालय का पता	कंपनी का पूर्व नाम, यदि कोई हो	पिछले अनुमोदनों/ अनुमोदन निरस्तीकरण, यदि कोई हों का विवरण (संदर्भ सं. और तारीख)	संपर्क कार्यालय/ शाखा कार्यालय/ परियोजना कार्यालय के लिए डीईए द्वारा विनिर्दिष्ट आवेदनपत्र संलग्न है

II. निदेशकों / महत्वपूर्ण कार्यपालकों के ब्योरे

क्र.	बोर्ड के निदेशकों और महत्वपूर्ण कार्यपालकों का पूरा नाम (जाहन भी लागू हो)	वर्तमान पद और पद ग्रहण की तारीख (जब से उक्त पद ग्रहण किया गया है)	जन्म- तिथि	प्रतिशत	वर्तमान और स्थायी पता	राष्ट्रियता	पासपोर्ट सं. एवं उसकी निर्गम तिथि	संपर्क पता एवं टेलीफ़ोन नंबर

III. आवेदक कंपनी के शेयरधारकों के ब्योरे (वे सभी फ़र्म्स /कंपनियाँ /एंटिटियाँ /व्यक्ति जिनके पास 10% से अधिक की शेयरधारिता है)

क्र.	पूरा नाम	प्रतिशत माता / पिता	जन्म तिथि	स्थायी पता	वर्तमान पता	धारित वर्तमान पद	राष्ट्रीयता (यदि दोहरी राष्ट्रीयता का धारक हो, तो दोनों के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए)	कंपनी में धारित शेयरों का प्रतिशत %

IV. कंपनी / निदेशक(कों) के विरुद्ध आपराधिक मामले, यदि कोई हों, जिनके लिए सुरक्षा संबंधी अनापत्ति (क्लियरेंस) मांगी गई हो :

ए. कंपनी का नाम, पता और पंजीकरण संख्या

बी. कंपनी के स्वामियों, प्रमोटर्स और निदेशकों के नाम और पते

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

सी. क्या ऊपर उल्लिखित कंपनी के स्वामियों, प्रमोटर्स और निदेशकों के नाम निम्नलिखित में से किसी के अधीन हैं?

1. निवारक नज़रबंदी संबंधी कार्रवाई : हाँ / ना
2. आपराधिक मामलों में कार्रवाई : हाँ / ना

डी. यदि हाँ, तो कृपया निम्नलिखित ब्योरे दें :

1. नज़रबंदी / मामला / एफआईआर / वारंट नंबर
2. पुलिस स्टेशन / जिला / अभिकरण(एजेंसी)
3. कानून की धारा
4. न्यायालय का नाम एवं स्थान

ई. उल्लिखित ब्योरे भारत और भारत के अलावा अन्य देशों (दोनों) से संबंधित हैं।

घोषणापत्र

हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि :

- i. उपर्युक्त में दिये गये ब्योरे हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और सत्य हैं ।
- ii. भारत में हमारे कार्यकलाप उपर्युक्त स्तंभ 4(iii)(ए) /7(vi) में दर्शाये गए कार्यकलापों तक सीमित होंगे ।
- iii. यदि हम अपना कार्यालय उसी शहर में स्थानांतरित करेंगे तो हम अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक को इस बारे में सूचित करेंगे। यदि हम अपना कार्यालय भारत में किसी अन्य शहर में स्थानांतरित करेंगे तो हम अपने नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक से इस संबंध में पूर्वानुमोदन लेंगे।
- iv. हम भारत सरकार/रिज़र्व बैंक/प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शर्तों का पालन करेंगे ।
- v. हम एतद्वारा प्रतिबद्ध हैं कि हम भारत सरकार/ रिज़र्व बैंक द्वारा विदेश में हमारे बैंकर से मांगी गयी रिपोर्ट / अभिमत देंगे।
- vi. हम समझते हैं कि अनुमोदन, यदि प्रदान किया जाता है, तो केवल फेमा की दृष्टिकोण से है। किसी अन्य सरकारी प्राधिकारी / विभाग / मंत्रालय से कोई अन्य अनुमोदन /सांविधिक अथवा अन्यथा मंजूरी (क्लिअरन्स) आवश्यक है तो भारत में परिचालन शुरू करने से पहले प्राप्त कर लिया जाएगा ।
- vii. रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन के ब्योरे पब्लिक डोमेन पर रखने के संबंध में हमें कोई आपत्ति नहीं है।
- viii. हम निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं:

ए. कंपनी जिस देश में पंजीकृत है, वहाँ के निगमन/पंजीकरण प्रमाणपत्र और संस्था के अंतर्गमन और बहिर्गमन (मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल अँड असोशिएशन) की प्रतिलिपि जिसे पब्लिक नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित किया गया हो ।

[यदि मूल प्रमाणपत्र अंग्रेजी से भिन्न किसी भाषा में है, तो उसे अंग्रेजी में अनूदित और उपर्युक्त के अनुसार नोटराइज्ड किया जाए और अपने देश में भारतीय दूतावास / वाणिज्य दूतावास द्वारा प्रति सत्यापित / साक्ष्यांकित की जाए]

बी. आवेदक कंपनी का संपर्क कार्यालय के मामले में पिछले तीन वर्षों का तथा शाखा कार्यालय के मामले में पिछले पाँच वर्षों का लेखापरिक्षित तुलन-पत्र ।

[यदि आवेदक के अपने देश के कानून / विनियम लेखों की लेखापरीक्षा पर जोर नहीं देते हैं तो निवल मालियत स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए सर्टिफाइड पब्लिक एकाउंटेंट (सीपीए) अथवा किसी नाम से पंजीकृत लेखा व्यावसायिक द्वारा प्रमाणित लेखा विवरण प्रस्तुत किया जाए]

सी. मेजबान देश/पंजीकरण किए गए देश में आवेदक के बैंकर से उस बैंक के साथ आवेदक के बैंकिंग-संबंधों की, वर्षों की संख्या दर्शाते हुए, रिपोर्ट।

डी. आवेदक एंटीटी के प्रमुख द्वारा फॉर्म एफएनसी पर हस्ताक्षर न किए जाने के मामले में उस हस्ताक्षरी को जारी प्राधिकार पत्र जो फॉर्म एफएनसी पर हस्ताक्षर करेगा।

(आवेदक कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम: -----

पदनाम -----

स्थान : -----

दिनांक: -----